

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 126/2019 ( धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन )  
मथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, यूनिट नम्बर 401, से 404 चौथी मंजिल, लुहाडिया टावर  
अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. विनोद कुमार मीणा  
निवासी प्लॉट नं. 13, मोहन नगर, मान्यावास, जयपुर ।  
कार्यालय पता श्री पारस पैकिंग सॉल्यूशन प्रा. लि. द्वितीय तल, प्लॉट नं. 2 नाथ हाउस, मिशन  
कम्पाउण्ड, जयपुर ।  
प्लॉट नं. 19, जगदीश विहार योजना, सांगानेर कापरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, मुहाना, जयपुर ।
2. श्रीमती पारस देवी
3. श्री दशरथ कुमार  
निवासी प्लॉट नं. 13, मोहन नगर, मान्यावास, जयपुर एवं  
प्लॉट नं. 19, जगदीश विहार योजना, सांगानेर कापरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, मुहाना, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of  
security interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 5-9-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पारसी देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 19 जगदीश विहार योजना, मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 141.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 21,29,566/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



जिला मजिस्ट्रेट  
कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी की तामील की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की गई। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.12.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी की ओर से बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण के धारा 13 (2) के नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पारसी देवी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 19 जगदीश विहार योजना, मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 141.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक, 5-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)

**जिला मजिस्ट्रेट**  
(कलक्टर) जयपुर